*अरुणाचल प्रदेश विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1977

(1977 का अधिनियम संख्यांक 4)

[19 सितम्बर, 1977]

अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए कतिपय निरर्हताओं के निवारण का उपबंध करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका---संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 14(i)(क) के उपबंधों के अनुसार यह उपबंध करना समीचीन है कि इसमें इसके पश्चात् वर्णित पदों के धारक, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होंगे ।

भारत गणराज्य के अठ्ठाईसवें वर्ष में अरुणाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ---(i) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरुणाचल प्रदेश विधान मंडल सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1977 है ।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश पर होगा ।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. सदस्यता के लिए कतिपय निरर्हताओं का हटाना---कोई भी व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए केवल इस तथ्य के कारण निरर्हित नहीं होगा कि वह इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाभ के पदों में से कोई पद धारण करता है ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1. गोवनबरा, चाहे इस नाम से या किसी अन्य शीर्षक से पुकारा जाए ।

2. प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडिट कोर या सहायक वायु सेना या वायु रक्षा रिजर्व में कोई पद ।

3. भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा नियुक्त किसी समिति, सोसाइटी, बोर्ड या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद ।

स्पष्टीकरण 1---"समिति" से भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा स्थापित एक या अधिक व्यक्तियों की समिति, आयोग, परिषद् या कोई अन्य निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह कानूनी हो या नहीं ।

स्पष्टीकरण 2---"बोर्ड" या "प्राधिकरण" से किसी केंद्रीय विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य की विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित, रजिस्ट्रीकृत या विरचित अथवा ऐसी किसी विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने वाला एक या अधिक व्यक्तियों का कोई निगम, कंपनी, सोसाइटी या अन्य निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या नहीं ।

4. सरकार के अधीन कोई अन्य पद जो पूर्णकालिक पद नहीं है और जिसके लिए वेतन और फीस के पारिश्रमिक नहीं है।

5. सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में अंशकालिक आचार्य, प्राध्यापक, अनुदेशक या अध्यापक का पद ।

6. चिकित्सा व्यवसायी जो सरकार को अंशकालिक सेवा देता है ।

7. होमगार्ड में कोई पद जो पूर्णकालिक न हो और जिसके लिए वेतन और फीस का पारिश्रमिक नहीं है ।

8. एस.एस.बी. संगठन में ग्राम स्वयंसेवक का पद ।

9. संघ या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के मंत्री या राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा धृत कोई पद ।

---

* यह प्राधिकृत हिंदी पाठ नहीं है ।